तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-5-14	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 25-7-14 को पेश हो। [signature] रीडर सहायक कलक्टर माण्डल	
25-7-14	पत्रावली पेश हुई. अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 16-10-14 [signature]	
16-10-14	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है। स्थानान्तरण अतः पत्रावली दिनांक 12-2-15 को पेश हो। [signature] रीडर सहायक कलक्टर माण्डल	
12.2.15	वकील वादी उपस्थित। पेशकार तहसीलदार को मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 21.5.15 को पेश हो/ [initials]	
9.7.15	पत्रावली बमुकाम लोक अदालत (केम्प जोरावरपुरा) पेश हुई। वादीगणों ने वाद बाबत दो बण्डाक्रांत दुरुस्ती पेश कर अनुतोष चाहा है कि उनके पूर्वजों के नाम दर्ज ग्राम भेरुखेड़ा गत आराजी न. 33 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा व आ.न. 35 रकबा 01 बिस्वा कुल कित्ता 02 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा दर्ज रिकार्ड थी। इसके बाद बन्दोबस्त कार्यवाई के दौरान इनके नये नम्बर 3 कायम हुये लेकिन आ.न. 3 का रकबा मात्र 1/9 बिस्वा दर्ज किया गया है जबकि नक्शे में पूरी तरमीम है. अतः दुरुस्ती की जावे/ प्रकरण में पेशकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जवाब में बताया गया कि साबिक व हाल नक्शे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को देखने व कायम से स्पष्ट होता है कि ग्राम भेरुखेड़ा साबिक आ.न. 33, 35 व 34 कि ओशिक भाग को मिलाकर हाल ख.न. 3 व 4 बने हैं। वादीगणों के इस संयुक्त खाते की बजाय छोगा पिता हमीर एवं सवाई पिता भूरा एकल खातों की भूमि को शामिल करने में कुल रकबा कम नहीं हुआ है. रिपोर्ट तहसीलदार माण्डल में अंकित किया गया है कि दुरुस्ती से रकबा 3(11) बीघा बढ़ता है. जिससे पूरे ग्राम का रकबा बेशी होता है. अतः प्रकरण निरस्त योग्य है/ मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों एवं पेशकार सरकार के जवाब व तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें जाहिर है कि वादीगणों के एकल व संयुक्त खाता ग्राम भेरुखेड़ा त. माण्डल के रकबे को जोड़ने पर साबिक रेकार्ड के अनुसार उनका रकबा पूरा होता है, वादीगण अपने संयुक्त व एकल खातों को मिलाते हुए साबिक व वर्तमान रकबे में कमी को सिद्ध नहीं किया है, अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो/ [initials]	